**प्रेस विज्ञप्ति**

**05.03.2026**

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने श्रीमती अर्चना कुटे को 02.03.2026 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड (डीएमसीसीएसएल) और अन्य से संबंधित वित्तीय अनियमितताओं और धन शोधन के मामले में गिरफ्तार किया है। उन्हें 03.03.2026 को माननीय विशेष न्यायालय, मुंबई के समक्ष हाजिर किया गया, और माननीय न्यायालय ने पीएमएलए के तहत आगे की जांच के लिए उन्हें 07.03.2026 (5 दिन) तक ईडी हिरासत में भेज दिया।

यह गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत की गई है, जो मई से जुलाई 2024 के बीच महाराष्ट्र के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत सुरेश कुटे और अन्य द्वारा डीएमसीसीएसएल के माध्यम से निवेशकों के साथ की गई धोखाधड़ी के संबंध में दर्ज की गई कई एफआईआर पर आधारित है। इन एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि सोसाइटी ने 12%-14% रिटर्न का वादा करते हुए कई उच्च-उपज जमा योजनाएं (हाइ यील्ड डिपॉजिट स्कीम) शुरू कीं, जिससे बड़ी संख्या में निवेशक आकर्षित हुए, लेकिन जमा राशि का भुगतान न होने या आंशिक भुगतान होने के कारण उन्हें भारी वित्तीय नुकसान हुआ।

ईडी की जांच में पता चला कि सोसाइटी के फंड का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 2,467 करोड़ रुपये, सुरेश कुटे और श्रीमती अर्चना कुटे के स्वामित्व/नियंत्रण वाले कंपनियों के समूह (कुटे ग्रुप) को कथित "ऋण" के रूप में हस्तांतरित किया गया था। ये भुगतान उचित दस्तावेज़ीकरण, संपार्श्विक प्रतिभूति या अंतिम उपयोग प्रमाणन के बिना किए गए थे, और वैध व्यावसायिक गतिविधियों के लिए उपयोग किए जाने के बजाय, फंड को व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया या असंबंधित व्यावसायिक हितों में निवेश किया गया।

इससे पहले, ईडी ने सुरेश कुटे को गिरफ्तार किया था और मुंबई स्थित माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) में अभियोजन शिकायत दायर की थी, जिस पर माननीय न्यायालय ने अपराध का संज्ञान लिया था।

अब तक, ईडी ने इस मामले में कई तलाशी अभियान चलाए हैं और कई अनंतिम कुर्की आदेश भी जारी किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप **लगभग 1,621.89 करोड़ रुपये** की अचल और चल संपत्तियों की कुर्की/जब्ती हुई है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।